भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3209
19 मार्च, 2025 के लिए प्रश्न

पीएमजीकेएवाई के अंतर्गत लाभार्थी

3209. श्री आशीष दुबे:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले आठ वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के माध्यम से जनता को महत्वपूर्ण रूप से लाभ हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में उक्त योजना के अंतर्गत लाभान्वित व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है?

उत्तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) से (ग): देश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) को कोविड-19 प्रकोप के कारण उत्पन्न आर्थिक व्यवधानों के कारण गरीबों और जरूरतमंदों को होने वाली कठिनाइयों को कम करने के विशिष्ट उद्देश्य से शुरू किया गया था। पीएमजीकेएवाई के तहत 80 करोड़ लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम निःशुल्क खाद्यान्न वितरित किया गया। इस योजना को सात चरणों (अप्रैल 2020 से दिसंबर 2022 तक) में सफलतापूर्वक लागू किया गया।

केंद्र सरकार ने गरीब लाभार्थियों के वित्तीय बोझ को कम करने और गरीबों की सहायता के लिए कार्यक्रम की राष्ट्रव्यापी एकरूपता और प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, पीएमजीकेएवाई के तहत 1 जनवरी 2023 से अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवारों और प्राथमिकता वाले परिवारों (पीएचएच) के लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया। 1 जनवरी, 2024 से मुफ्त खाद्यान्न वितरण का प्रावधान अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है।

पीएमजीकेएवाई के तहत कवर किए गए लाभार्थियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या दर्शाने वाला विवरण **अनुबंध** में है।

(घ): मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त करने हेतु अधिनियम के तहत शामिल लाभार्थियों की संख्या 14,61,215 है।

*****

"पीएमजीकेएवाई के अंतर्गत लाभार्थी" के संबंध में लोक सभा में दिनांक 19.03.2025 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3209 के उत्तर के भाग (क) से (ग) में उल्लिखित अनुबंध।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत कवर किए गए लाभार्थियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एनएफएसए के अंतर्गत स्वीकृत व्यक्तियों की संख्या (लाख में)	एएवाई एचएच की अधिकतम सीमा (लाख में)	वर्तमान कवरेज (लाख में)					
				एएवाई		प्राथमिकता	कुल व्यक्ति	स्वीकृत व्यक्तियों का %
				परिवारों की संख्या	व्यक्तियों की संख्या	व्यक्तियों की संख्या		
1	आंध्र प्रदेश	268.23	9.09	9.08	23.52	244.70	268.22	100.00%
2	अरुणाचल प्रदेश	8.71	0.38	0.38	1.50	6.90	8.40	96.53%
3	असम	251.90	7.04	6.73	21.70	226.29	247.98	98.45%
4	बिहार	871.16	25.01	25.01	125.05	746.11	871.16	100.00%
5	छतीसगढ	200.77	7.19	7.19	20.42	180.35	200.77	100.00%
6	दिल्ली	72.78	1.57	0.69	2.78	70.00	72.78	100.00%
7	गोवा	5.32	0.18	0.12	0.46	4.86	5.32	100.00%
8	गुजरात	382.85	8.13	7.77	36.10	329.74	365.84	95.56%
9	हरियाणा	126.49	3.03	2.68	11.35	115.14	126.49	100.00%
10	हिमाचल प्रदेश	36.82	1.97	1.65	6.82	23.07	29.88	81.17%
11	झारखंड	264.25	9.18	8.94	34.76	229.43	264.19	99.98%
12	कर्नाटक	401.93	12.00	10.97	43.91	358.02	401.93	100.00%
13	केरल	154.80	5.96	5.96	25.59	129.21	154.80	100.00%
14	मध्य प्रदेश	546.42	15.82	14.63	54.93	479.86	534.79	97.87%
15	महाराष्ट्र	700.17	25.05	25.05	108.01	592.16	700.17	100.00%
16	मणिपुर	25.06	0.64	0.64	1.91	18.97	20.87	83.30%

...2/-

17	मेघालय	21.46	0.70	0.70	2.91	18.54	21.46	100.00%
18	मिजोरम	7.06	0.26	0.26	0.64	6.41	7.05	99.83%
19	नागालैंड	14.79	0.48	0.48	2.11	11.94	14.05	94.99%
20	ओडिशा	326.21	12.65	12.53	37.57	287.60	325.17	99.68%
21	पंजाब	141.45	1.79	1.79	7.64	133.80	141.45	100.00%
22	राजस्थान	446.62	9.32	6.29	22.29	417.72	440.01	98.52%
23	सिक्किम	4.07	0.17	0.17	0.57	3.24	3.81	93.78%
24	तमिलनाडु	364.69	18.65	18.64	65.78	298.34	364.12	99.84%
25	तेलंगाना	191.70	6.49	5.67	15.95	175.74	191.70	100.00%
26	त्रिपुरा	25.02	1.13	1.09	4.62	19.81	24.43	97.65%
27	उत्तर प्रदेश	1520.59	40.95	40.90	132.91	1365.79	1498.70	98.56%
28	उत्तराखंड	61.94	1.91	1.84	7.92	54.02	61.94	100.00%
29	पश्चिम बंगाल	601.84	19.86	16.42	54.99	546.85	601.84	100.00%
30	अंडमान एवं निकोबार	0.63	0.11	0.04	0.14	0.46	0.61	96.21%
31	दादरा और नगर हवेली	3.56	0.08	0.05	0.24	2.45	2.69	75.60%
32	लक्षद्वीप	0.22	0.01	0.01	0.04	0.18	0.22	99.72%
33	चंडीगढ़ (डीबीटी)	4.96	0.09	0.00	0.01	2.98	2.99	60.29%
34	पुडुचेरी (डीबीटी)	6.34	0.32	0.25	0.82	5.52	6.34	99.92%
35	जम्मू एवं कश्मीर	72.69	2.76	2.33	10.61	61.80	72.41	99.61%
36	लद्दाख	1.44	0.06	0.06	0.29	1.15	1.44	99.99%
कुल		**8134.91**	**250.00**	**237.00**	**886.85**	**7169.17**	**8056.02**	**99.03%**

*****